समाहरणालय, दरभंगा

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

–:आदेशः–

अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल ने पत्रांक–227 दिनांक–02.02.2015 द्वारा बिरौल प्रखंड के ग्राम पंचायत परड़ी अन्तर्गत ग्राम साहो के टोला धकजरी में अवस्थित कब्रिस्तान में दिनांक–17.01.2015 को शव दफनाने के दौरान दो समुदायों के बीच उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु दिनांक–18.01.2015 को बिरौल थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अध्यक्षता में दोनों पक्षों के साथ आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में इस कब्रिस्तान के जमीन की घेराबंदी हेतु अनुशंसा की गई है। कब्रिस्तान की जमीन का निम्न प्रकार ब्योरा उपलब्ध कराया गया है:–

राजस्व ग्राम का नाम	टोला का नाम	थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	भूमि का स्वामित्व
साहो	धकजरी	110	3601	8207	0.22 डी0	अनाबाद सर्वसाधारण
				8208	0.10 डी0	
				8210	0.10 डी0	
				8211	0.20 डी0	
				8212	1.85 डी0	
				8213	0.34 डी0	
				8214	0.26 डी0	

अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल से प्राप्त अनुशंसा के क्रम में प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक– यो0–03/मु0क्षे0वि0यो0–37/2012– 4511 दिनांक–09.11.2012 एवं प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9811 दिनांक–07.11.2012 एवं 768 दिनांक–24.01.2013 तथा पत्रांक–9039 दिनांक–24.09.2014 के आलोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बेनीपुर के पत्रांक–109 (A) दिनांक–30.03.2015 द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर ₹ 1952599.00 (उनीस लाख बावन हजार पांच सौ निनान्वे) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बेनीपुर को योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपते हुए योजना पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31.12.2015 निर्धारित किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आवंटन से किया जाएगा।

कार्यपालक अभियंता के द्वारा निम्नांकित निदेशों का अनुपालन किया जाएगा:–

1. योजना का कार्यान्वयन गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के मार्गदर्शन/निदेश के आलोक में निविदा के माध्यम से किया जाएगा।
2. वास्तविक सीमांकन के पश्चात् यदि प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी या कमी होती है तो इसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
3. कार्य के गुणवत्ता की पूरी जवाबदेही कार्यपालक अभियंता की होगी। योजना में उपयोग होने वाली सामग्रियों के गुणवत्ता की जांच समय–समय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला से कराकर अभिलेख में संधारित करेंगे।
4. योजना स्थल पर पूर्ण सूचना के साथ सूचना पट्ट लगाना सुनिश्चित करेंगे।
5. योजना पूर्ण होने के पश्चात् सूचना पट्ट के साथ कार्य स्थल का फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला एवं गृह विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. योजना में उपयोग होने वाली सामग्रियों का विधिवत Vat एवं अन्य अनुमान्य करों की कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रत्येक माह की 25वीं तारीख तक विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन गृह (विशेष) विभाग एवं जिला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक......266...../जि0वि0, दिनांक..........7.......अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबन्धक, दरभंगा को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं सभी संबंधित को मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु दी जाती है।

7/4/15

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।